सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 38/16 **निर्णय दिनांकः— 31—07—2019**

1. पन्नाराम पुत्र भोलाराम
2. उगमाराम पुत्र गाहड़सिंह
3. तेजाराम पुत्र भैराराम गोदपुर इन्द्र पत्नि सावंताराम
   जाति राईका निवासीगण रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. जोगीराम दत्तक पुत्र दुलाराम
2. खगाराम पुत्र रणजीतराम
3. अमेदाराम पुत्र कानाराम
4. भंवरलाल पुत्र जसूराम
5. रामूराम पुत्र जसूराम
6. जड़ाव पत्नी भैराराम
7. जगुराम पुत्र भैराराम
8. किशनाराम पुत्र भैराराम
9. पेमाराम पुत्र भैराराम — जाति राईका निवासीगण रोड़ा
10. इन्द्र पत्नी भोलाराम — तहसील नोखा जिला बीकानेर।
11. गिरधारीराम पुत्र भोलाराम
12. राखू देवी पुत्री भोलाराम
13. उच्छवदेवी पुत्री भोलाराम
14. जेठाराम पुत्र रणछोड़ाराम
15. दानाराम पुत्र रणछोड़ाराम
16. श्रीमती समदूदेवी पत्नी गाहड़सिंह
17. मघाराम पुत्र गाहड़सिंह
18. शेराराम पुत्र गाहड़सिंह
19. विमला पुत्र गाहड़सिंह
20. दुर्गा पुत्री गाहड़सिंह
21. बाबूड़ी पुत्री गाहड़सिंह
22. लिच्छाराम दत्तक पुत्र गोविन्दराम
23. नेमाराम
24. छोटूराम — पुत्रगण हड़मानराम जाति राईका निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर

25. हड़मानराम पुत्र घीसाराम जाति राईका निवासीगण भदाणा तहसील व जिला नागौर
26. खमू पुत्री सांवताराम पत्नि सांगाराम जाति राईका निवासी बज्जू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13—05—2016
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री गोविन्द डूडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 13—05—2016 जिसके द्वारा विधि विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही रोड़ा साबिका खसरा नम्बर 286 रकबा 39 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 54 बीघा 19 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1026 रकबा 0. 03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1027 रकबा 2.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नरम्बर 1029 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा

नम्बर 1030 रकबा 6.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 1032 रकबा 3.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 1098 रकबा 0.15 हेक्टर किता 8 कुल रकबा 13.80 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में दुला, गोविन्द पिसरान आदू बहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा, लाधू, अमाना पिसरान रूघा बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, मु. राधा बेवाह कालू 1/2 हिस्सा के खातेदारान थे। उक्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 474 दिनांक 03—07—1973 से लाधू, राधा के जायज वारिस वादी के दत्तक पिता दुलाराम व दुलाराम के भाई गोविन्दराम तथा अमानाराम के नाम दर्ज करते हुए उनके हिस्से में आई कुल रकबा 1/4 हिस्सा अर्थात 13 बीघा पौने पन्द्रह बिस्वा यानि 1.53 हेक्टर के स्थान पर 3045 हेक्टर भूमि का वादी को खातेदार धोषित किये जाने व तदनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन किये जाने व नामान्तरणकरण संख्या 464, 211, 212 व 215 को नल एवं वॉयट धोषित करने का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्यों का विवेचन किये व राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई, साक्ष्य लिये बिना, तनकीयात का मनमानें तरीके से विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया है। प्रकरण में प्रस्तत राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि अमानाराम तथा राधा पत्नी कालू के स्वर्गवास होन के उपरान्त वर्ष 1974 में ही वारिसों के नाम इंतकाल स्वीकृत हो चुका था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/वादी का अमानाराम, राधा बेवा कालू तथा रूपा के पिता से क्या संबंध है वादी वादपत्र में स्पष्ट नहीं कर पाया है। उक्त तथ्य के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलाट/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी के कथनों को अस्वीकार किया गया था तथा

कथन किया गया था कि वादगत् भूमि का सभ पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन हो चुका है तथा सभी पक्ष उक्त विभाजन के अनुसार अपने – अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज काश्त है ऐसीस्थिति में गत् 40 वर्षो से दुला, गोविन्द पिसरान आदू बहिस्सा बराबर अर्थात 1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। दुला, गोविन्द पिसरान आदू को राजस्व रिकार्ड का ज्ञान नहीं होने के कारण पर्याप्त नहीं है। प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि नामान्तरणकरण संख्या 464 दिनांक 03—07—1973 व विभाजन के आदेश व नामान्तरणकरण संख्या 215 दिनांक 20—07—1998 को निरस्त कराने हेतु पर्याप्त कानूनी प्रावधान निहित होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा उक्त उपचार का प्रयोग नहीं किया गया है।

प्रकरण में जहॉ तक गोदनामें का प्रश्न है, गोदनामा दिनांक 14—08—1995 का है, जिसमें दुला द्वारा कथन किया गया है कि अपने चाचा के पुत्र जोगीराम को दत्तक लिया है, जबकि हिन्दु दत्तक कानून के मुताबिक दोनों का प्राकृतिक दत्तक पुत्र जोगीराम दुलाराम के चाचा का पुत्र भाई है जिसे कानूनन दत्तक पुत्र नहीं लिया जा सकता है। ऐसा दत्तकनामा प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। दत्तक कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि दत्तक की आयु गोदनामें के समय 15 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि जोगीराम/वादी की तत्सयम उम्र 27 वर्ष की थी। ऐसी स्थिति में उक्त दत्तकनामा कानून के खिलाफ एवं अवैध है। वादी के वाद का मुख्य आधार उक्त गोदनाम है जबकि उक्त गोदनामा ही विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभिन्न न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए कथन किया गया था कि दत्तक पिता द्वारा किये गये अन्तरण के संबंध में दत्तक पुत्र द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि दत्तक से पूर्व वह व्यक्ति अपनी सम्पति का पूर्ण मालिक होता है कि वह अपनी सम्पति का उपयोग, उपभोग व अन्तरण अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री व वादग्रस्त भूमि के विभाजन के आदेश पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस करते हुए कथन किया वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 92ए व धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 क तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1027 रकबा 2.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 6.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 1032 रकबा 3.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 1098 रकबा 0.15 हेक्टर कुल किता 8 रकबा 13.80 हेक्टर में से वादी को 1/4 हिस्से अर्थात 3.45 हेक्टर भूमि का खातेदार धोषित करने व उक्तानुसार विभाजन किये जाने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र के अनुसरण में तनकीयात् कायम की गई व कायम की गई तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादी/रेस्पोडन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट की मुख्य आपत्ति गोदनामें को लेकर है। जबकि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोगीराम दुलाराम का दत्तक पुत्र नहीं है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा उक्त गोदनामें को कभी भी सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त गोदनामें को वह अब इस स्तर पर अस्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसीस्थिति में वादी दुलाराम का दत्तक पुत्र होने के कारण उनके धारण व हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर वादी/रेस्पोडेन्ट जोगीराम का वाद स्वीकार किया गया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बताया कि जहॉ तक अपीलांट का कथन कि पूर्व में विभाजन को चैलेन्ज नहीं किया गया है, तथा वादी उक्त विभाजन से स्टोप्ड है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। क्योंकि पक्षकारों के मध्य पूर्व में कभी भी किसी प्रकार का

वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त तथाकथित विभाजन को किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम परिस्थितियों व राजस्व रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए व 53 आरटी एक्ट व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1027 रकबा 2.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 6.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 1032 रकबा 3.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 1098 रकबा 0.15 हेक्टर कुल किता 8 रकबा 13.80 हेक्टर में से वादी को 1/4 हिस्से अर्थात 3.45 हेक्टर भूमि का खातेदार धोषित करने व उक्तानुसार विभाजन किये जाने की इस्तदुआ किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट की मुख्य आपत्ति तथाकथित गोदनामें व पूर्व में स्वीकृत हो चुके इंतकाल को किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाने को लेकर व वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होने के उपरान्त पुनः विभाजन की अपील प्रस्तुत करने को लेकर है। इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए तनकी संख्या 1 कायम की गई आयाकि दुला, गोविन्द बहिस्सा बराबर

1/6 हिस्सा तथा अमाना बहिस्सा 1/3 हिस्सा व राधा बेवा कालू 1/2 हिस्से के खातेदार थे। इस संबंध में जमाबन्दी संवत् 2026—29 में वादी/रेस्पोडेनट संख्या 1 के खोलायत पिता दुला का 1/2 हिस्सा दर्ज था तथा उस समय के शेष सह खातेदार लाधू, अमाना पिसरान रूघा तथा राधा बेवा कालू का वादी/रेस्पोडेन्ट के पिता के साथ क्या संबंध थे, वादपत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। अमानाराम तथा राधा पत्नी कालू के फौत होने के उपरान्त दिनांक 12—06—1974 को शेष वारिसों के नाम से इंतकाल स्वीकृत हो चुका था ऐसीस्थिति में तनकी संख्या 1 रिकार्ड के आधार पर ही है। जिसे साबित करने में परीक्षण न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है।

प्रकरण में जहॉ तक विवादित भूमि में वादी/रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 1/2 विरासतन एवं खोलायत पुत्र होने के कारण था। 40 साल वर्ष पूर्व के रिकार्ड के विपरीत जाकर 1/4 हिस्से को धोषित करवाने के लिये वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मूल खातेदार का वंश सजरा व समय—समय पर हुए संशोधन पर की गई तत्कालीन आपत्तियों के बारे में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था। मात्र मौखिक कथनों के आधार पर उक्त तनकी वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित करने में परीक्षण न्यायालय ने भूल की है।

परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आयाकि इंतकाल संख्या 464, 211, 212 व 215 नल एण्ड वॉयड व एबईनिशियों वाईड है? इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वाद दायर करने से 35 साल पूर्व स्वीकृत नामान्तरणकरण को शून्य धोस्रित करवाने की उक्त तनकी को परीक्षण न्यायालय ने विवेचित नहीं किया है तथा न ही स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है। उक्त इंतकाल को सक्षम स्तर पर चुनौती भी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्व निर्णित की जाती है।

इसीप्रकार तनकी संख्या 4 कायम की गई कि आयाकि वादी व वादी के दत्तक पिता अनपढ़ है तथा वादी को गुमराह करके विभाजन पर अंगूठे करवाये जोकि विभाजन अवैध है? उक्त तनकी के संबंध में उल्लेखनीय है कि तत्कालीन राजस्व रिकार्ड के आधार पर सहमति से

हुए विभाजन को 10 साल पश्चात् चुनौती देने का कोई ठोस आधार वादी/रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्व तय की जाती है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई अन्य तनकीयात् तनकी संख्या 1 ता 4 पर आधारित है जिनका विस्तृत विवेचन पूर्व में तनकी संख्या 1 ता 4 के विवेचन में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात् को पुनः विवेचित किया जाना अप्रासंगिक होगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13—05—2016 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 31—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर